



न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल गावालियर बैच भोपाल म0प्र0
निगरानी कमांक /2016 तिग - 1594-II-16
बहादुर सिंह आयु 68 वर्ष आत्मज स्व0 श्री मोती सिंह
जाति सैधव निवासी ग्राम रामनगर
तहसील इछावर जिला सीहोर

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1- उदयसिंह उम्र 68 वर्ष आत्मज स्व0 श्री मोती सिंह
निवासी ग्राम रामनगर तहसील इछावर
- 2- रामसभाबाई पत्नि नारायणसिंह
निवासी ग्राम अरनिया जोहरी तहसील आष्टा जिला सीहोर
- 3- रेशमबाई पत्नि जीवनसिंह
निवासी ग्राम सेवनिया तहसील इछावर जिला सीहोर
- 4- अजुध्याबाई पत्नि मेहरबानसिंह
निवासी ग्राम कराडियापरी तहसील सोनकच्छ जिला देवास म0प्र0
- 5- कुन्ताबाई पत्नि सोभालसिंह
निवासी ग्राम भानाखेड़ी तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0..... गैरनिगरानीकर्ता

96
अधिकारी अधिकारी
शुल्क दाए दिनांक
29/04/16 को 5 ठुड़

82
अधीक्षक
कार्यालय कमिशनर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959, विरुद्ध प्रकरण कमांक 05/अ-6/12-13 उदयसिंह विरुद्ध सर्वसाधारण ग्राम रामनगर तहसील इछावर मे आदेश दिनाक 28-01-2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार महोदय इछावर जिला सीहोर म0प्र0।

श्रीमानजी,

निगरानीकर्ता उक्त आदेश से असन्तुष्ट व दुखी होकर यह निगरानी निम्न लिखित तथ्यों एवं विधि आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है:-

- 1- यह कि न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय इछावर के न्यायालय मे गैर निगरानीकर्ता क0-1 ने एक आवेदन धारा 109,110,164 म0प्र0भू0रा.सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि निम्नलिखित कृषि भूमि जिसका विवरण निमनानुसार है:-

कमांक

सर्वे नम्बर

रकबा

लगान

हैक्टेयर मे

R-1594-II/16 सीष्ट



30.8.16.

जानकी बाई के जनका विदेशी वर्ष
उन्हें लाया नहीं था अतः १८. ३. १६ लाया
पिछे जानकी को दूर्घटना की जाए तो, उन्हें प्रवास
जानकी लाये गई रिक्सा वार-रिक्सा है।
जानकी लाये गई रिक्सा को जानकी जनका विदेशी वर्ष
में लाये गई रिक्सा नहीं है। जानकी प्रवास
लाये गई रिक्सा को जानकी जनका विदेशी वर्ष
में लाये गई रिक्सा है।

✓
अद्य